प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4613/2018

श्रीमती मीनू राठौर पति श्री नीरज सिंह राठौर,आयु लगभग 35 वर्ष, सड़क क्रमांक 4 ए, मकान क्रमांक 31, विद्युत नगर, दुर्ग।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव राजस्व विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

2. छत्तीसगढ़ लोक आयोग, द्वारा सचिव रायपुर, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर।

3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग।

--- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिए : श्री बी पी शर्मा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्री सैयद माजिद अली, उप-शासकीय अधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी

पीठ पर आदेश

31/07/2018

1. वर्तमान रिट याचिका में आरोप पत्र दिनांक 02/03/2018 अनुलग्नक-पी/2 को चुनौती दी गयी है।

2. आरोप-पत्र को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के वकील का मुख्य तर्क यह है कि आरोप-पत्र वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर जारी किया गया है और यह

याचिकाकर्ता को उन आरोपों जो उसके खिलाफ लगाए गए हैं के लिए दोषी ठहराने के पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण के साथ किया गया हैं।वह आगे प्रस्तुत करता है कि, यह एक ऐसा मामला है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह पता चलता है कि आरोप और कुछ नहीं बल्कि उस पद पर नियुक्त कर्तव्य की सटीक प्रकृति है जिस पर याचिकाकर्ता कार्यरत था। उन्होंने आगे कहा कि, अन्यथा भी, यह आरोप इस कारण से टिकने योग्य नहीं है कि, याचिकाकर्ता ने केवल ऐसे दस्तावेज तैयार किए थे जो अन्यथा पटवारियों द्वारा तैयार किए जाने की आवश्यकता होती है, उसने कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है।वास्तव में याचिकाकर्ता ने इन दस्तावेजों को उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर उन्होंने अग्रिम कार्यवाही की थी और इस तरह याचिकाकर्ता ने जो कुछ भी किया था वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन में किया है जो उन्हें अधिनियम और नियमों के अनुसार करना चाहिए था और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आरोप-पत्र जारी करने के प्रारंभिक चरण में उच्च न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करने के संबंध में विधि अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है।

4. कई निर्णयों द्वारा बार-बार यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए खुद को अनुशासनात्मक प्राधिकारी या उस मामले के लिए जांच अधिकारी के रूप में प्रतिस्थापित नहीं करेगा और न ही याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की बारी-बारी से जांच करेगा।

5. यदि याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि उसने जो कुछ भी किया है वह विशुद्ध रूप से अधिनियमों और नियमों और याचिकाकर्ता को प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार है, तो याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी के सामने खड़े होकर अपने आचरण को

साबित करने से नहीं कतराना चाहिए और अपने आप निर्दोष साबित करना चाहिए।

6. उच्चतम न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ब्रह्म दत्त शर्मा और अन्य [(1987) 2 एस. सी. सी. 179]** में अनुशासनात्मक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर विचार करते हुए यह राय दी थी कि, "कारण बताएँ नोटिस जारी करने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना है और जैसे कारण बताओं सूचना जारी किया जाता है और शासन के पास यह विकल्प खुला रहता है कि वह शासकीय कर्मचारी द्वारा रखे गए तथ्यों और प्रस्तुतियों के आलोक में मामले पर विचार करे, उसके बाद ही मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। उस चरण से पहले न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना अपरिपक्व होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कहा कि हमारी राय में उच्च न्यायालय को कारण बताओ सूचना में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पुनः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव, रक्षा मंत्रालय और अन्य के मामले में बनाम प्रभाश चंद्र मिर्धा [2012 11 एस. सी. सी. 565] के मामले में की कंडिका 8, 10 और 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

> "8. विधि साधारण तरीके से आरोप पत्र को आपस्त करने की अनुमति नहीं देता है। यदि दोषी कर्मचारी को आरोप पत्र के संबंध में कोई शिकायत है, तो उसे एक अभ्यावेदन दायर करके इस मुद्दे को उठाना चाहिए और उस पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
>
> 10. आम तौर पर आरोप-पत्र या कारण-बताओं सूचना के खिलाफ एक रिट आवेदन इस कारण से पोषणीय नहीं होता है क्यों कि यह किसी भी वाद कारण को जन्म नहीं देता है। यह एक प्रतिकूल आदेश के बराबर नहीं है जो किसी भी पक्ष के अधिकार को प्रभावित करता है जब तक

कि वह ऐसा व्यक्ति द्वारा जारी नहीं किया गया जो ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं हो या उसके पास क्षेत्राधिकार ना हो । एक रिट तब पोषणीय होती है जब किसी पक्ष के किसी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। वास्तव में, आरोप पत्र किसी पक्ष के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। यह केवल तभी होता है जब सजा देने वाला या किसी पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला अंतिम आदेश पारित किया जाता है, तब ही इसमें कोई परिवेदना और वाद कारण हो सकता है। इस प्रकार, अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप पत्र या कारण-बताओं सूचना को न्यायालय द्वारा साधारण रूप से आपस्त नहीं किया जाना चाहिए।

12. इस प्रकार, इस मुद्दे पर विधि को इस प्रभाव तक संक्षेपित किया जा सकता है कि आरोप पत्र आम तौर पर चुनौती का विषय नहीं हो सकता है क्योंकि यह अपराधी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता है कि यह किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम नहीं है। न तो अनुशासनात्मक कार्यवाही और न ही आरोप पत्र को प्रारंभिक चरण में आपस्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह मुद्दों से निपटने के लिए एक अपरिपक्व चरण होगा।"

8. उपरोक्त विधिक स्थिति से, जैसा कि यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय का विचार रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही में केवल उस स्थिति में हस्तक्षेप करेगा जब जांच अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही करने में पूर्ण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रूप से अक्षम हो या जांच कार्यवाही किसी भी कारण से बाधित हो या जहां आरोपों की पहले ही जांच की जा चुकी हो और वह समाप्त हो चुकी हो।

9. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता इसे जारी करने में अधिकारियों की क्षमता या शक्ति को चुनौती नहीं दे रहा है और याचिकाकर्ता ने आरोप पत्र को चुनौती देते हुए यह याचिका इस आधार पर दायर किया है कि यह कदाचार के दायरे में नहीं आता है और इसलिए इसे आपस्त कर दिया जाना चाहिए।

10. याचिकाकर्ता द्वारा आरोप-पत्र का विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा भी इस पहलू पर विचार किया जा सकता है।

11. इसलिए यह न्यायालय इस समय याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छुक है।

12. याचिकाकर्ता के आरोप पत्र का विस्तृत जवाब दाखिल करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी आगे निर्णय लेने से पहले विचार करेगा कि विभागीय जांच की जाए या मामले को बंद किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका गुणदोष से रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है ।

सही/-
(पी. सैम कोशी)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**